

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2853

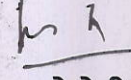
दिनांक :- 19-02-2019

-:कार्यालय आदेश:-

विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा कनि. लेखाकारों को दिनांक 18.02.2019 से 12.04.2019 तक आयोजित हो रहे 8 सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए ह.च.मा. (रीपा) के विभिन्न केन्द्रों पर संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए मनोनीत किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में जिन कार्मिकों ने अपने प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यग्रहण कर लिया है, वे अपने कार्यग्रहण करने की सूचना संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के माध्यम से तत्काल निदेशालय कोष एवं लेखा को भिजवाना सुनिश्चित करे एवं जिन कार्मिकों ने कार्यग्रहण नहीं किया है, वे तत्काल कार्यग्रहण कर निदेशालय कोष एवं लेखा को अवगत करावें।

आप द्वारा विभागीय आदेशों के पालना नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी एवं परीक्षाकाल पूर्ण होने के उपरांत कनिष्ठ लेखाकार के पद पर किये जाने वाले स्थायीकरण में विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2853

दिनांक :- 19-02-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निदेशक, ह.च.मा. (रीपा), राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- 2- अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/जयपुर/कोटा को प्रेषित कर लेख है कि संस्थानिक प्रशिक्षण में कार्यग्रहण करने वाले कनि. लेखाकारों की पृथक-पृथक सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
- 3- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को भेज कर लेख है कि आपके कार्यालय में पदस्थापित कनि. लेखाकार श्री/श्रीमति/सुश्री..... को संस्थानिक प्रशिक्षण हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को भेज कर लेख है कि संस्थानिक प्रशिक्षण हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त हो कर संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 6- उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु।)
- 7- रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)